चाहिये। काश कि उस तरह का प्रेम वे इनके प्रति दिखा सकें।

म्रो३म सहृदयं सामनस्यं मविद्वेषं कृणोमि वः।
मन्यो मन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या ।।
मथर्ववेद ।।

मंत्र में व्यक्त भावना यह है कि हमारे दिल एक से हों, दिमाग एक से हो, विचार एक से हों, सभी के दिलों में उनके प्रति सद्भावना हो और हम उनके प्रति मनुष्यता का व्यवहार करें और वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार गाय अपने नवजात बच्चे के साथ करती है। उसे प्यार करती है। वैदिक भावना जो मानव के प्रति रही है, वही भावना अगर हमारी इनके प्रति हो जाये, तो समस्या आप के आप हल हो सकती है।

चाहता तो मैं यह था कि मंत्री महोदय मेरे इस विधेयक को स्वीकार कर लेते लेकिन कारणवश उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की है इसको स्वीकार करने में और कहा है कि इनके जीवन को सफल बनाने के लिये वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और करते जायेंगे, इसलिए मैं अपने इस विधेयक को वापिस लेता हूं। अन्त में मैं सभी माननीय सदस्यों तथा मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इनके प्रति अपने विचार व्यक्त किये हैं।

Mr. Deputy-Speaker: Has the hon. Member leave of the House to withdraw the Bill?

The Bill was, by leave, withdrawn.

17 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Article 226 by Shri C. R. Pattabhi Raman)

Shri C. R. Pattabhi Raman (Tanjore): Sir, I beg to move;

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration"

Sir, the amendment that I am seeking to move concerns article 226 of the Constitution. This article reads as follows:

"Not withstanding anything in article 32, every High Court shall have power, throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction, to issue to any person or authority, including in appropriate cases any Government within whose territories directions, orders or writs, including writs in the nature of *habeas corpus*, *mandamus*, prohibition, *quo warranto* and *certiorari*, or any of them, for the enforcement of any of the rights conferred by Part III and for any other purpose."

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member may continue next time.

17.02 hrs.

INTEGRATION OF SERVICES IN PUNJAB*

श्री रामकृष्ण गुप्त (महेन्दगढ़) : मेरा जो पंजाब की सर्विसेज के इंटेग्रेशन के बारे में सवाल था, उस का जो जवाब दिया गया, उस के बारे में मैं यह डिस्कशन रेज करना चाहता हूं। इस के बारे में मैं सब से पहले यह बात बतलाना चाहता हूं कि इंटेग्रेशन से पहले यानी पहली नवम्बर, १९५६ के पहले जो पेप्सू के मर्जर्ड एरिया के चीफ मिनिस्टर थे और जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे उन की एक कांफरेंस हुई। उस कांफरेंस में एक ऐग्रीड फार्मूला तैयार किया गया और साफ तौर पर इस बात का फैसला किया गया कि जितने भी एम्प्लायीज हैं उन सब को काडर टू काडर बेसिस पर इंटेग्रेट किया जायेगा। और पेप्सू के जो क्लर्क हैं, असिस्टेंट हैं, असिस्टेंट इनचार्ज हैं या सुपरिन्टेन्डेन्ट वगैरह जो हैं उन को किसी भी हालत में उन अफसरों से कम नहीं समझा जायेगा जो कि पंजाब में उन्हीं ओहदों पर हैं। उन को बिल्कुल बराबर समझा जायेगा। इस जगह पर मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि यह जो फैसला हुआ, वह

*Half-an-Hour Discussion.